Intellectual Quest ISSN 2349-1949 Vol-19, June 2023
A Peer reviewed and Refreed Journal)

# संगीत सम्बंधी पत्रकारिता हेतु सतर्कता तथा सावधानियाँ

**लक्की मल्होत्रा**
शोधकर्त्री
पी.जी.जी.सी.जी.–11, चण्ड़ीगढ़।

**डॉ. अमिता शर्मा**
अध्यक्ष, संगीत विभाग,
पी.जी.जी.सी.जी.–11, चण्ड़ीगढ़।

## सारांश

विभिन्न विषयों पर समाचारों को एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करना ही समाचार पत्रों का उद्देश्य है। इन्हीं पर समाचार पत्रों का अस्तित्व आधारित होता है और यदि कहा जाए कि समाचार ही समाचार पत्रों की आत्मा होते हैं, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। समाचार–पत्रों के लिए समाचार प्राप्त करने के दो प्रमुख माध्यम हैं–पहला स्त्रोत समाचार वितरण करने वाली एजेंसियाँ तथा दूसरा रिपोर्टरों, संवाददाताओं, फोटोग्राफरों आदि की टीम द्वारा एकत्रित समाचार।

संगीत सम्बंधी पत्रकारिता एक महत्त्वपूर्ण तथा क्षेत्रीय रिपोर्टिंग का क्षेत्र है, जो भारतीय संगीत के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। संगीत कला भारतीय समाज में समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है जो संस्कृति, भावना, और राष्ट्रीय एकता को जीवंत रखने के लिए तत्पर रहती है। संगीत पत्रकारिता में पत्रकारों को सतर्क रहकर विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उनकी विश्वसनीयता, नैतिकता, विषय– निष्पक्षता, अखण्डता, सटीकता, संगीत समुदाय के साथ संवाद तथा संगीत के संदर्भ में अच्छे शब्दों का चयन जैसे बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कलाकारों की कला शैली पर समीक्षा करते समय पत्रकारों को अपने विचार व्यक्त करते हुए सतर्क रहना चाहिए क्योंकि संगीत प्रेमी उस कलाकार के प्रति विशेष भावना रखते हैं। सावधानियों का पालन करने से संगीत पत्रकारिता एक सम्मानित और प्रभावशाली पत्रकारिता के रूप में विकसित होगी।

**मुख्य शब्द :** संगीत, पत्रकारिता, सावधानियाँ, समाचार–पत्र

CGCTA

किसी भी प्रकार की सूचना देना तथा उसे पाना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परन्तु सूचना के आदान–प्रदान में एक प्रकार की गरिमा का होना अत्यावश्यक है। गरिमा, मर्यादा तथा नीतियों का अनुसरण न करने पर किसी भी प्रकार की सूचनाओं के आदान–प्रदान से कई प्रकार की विकर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेस को

pg. 2किसी भी देश में स्वतन्त्रता प्राप्त होना आवश्यक है, परन्तु समाचार पत्रों के कोई भी प्रतिनिधि जब प्राप्त स्वतन्त्रता का उल्लंघन करते हैं तो वे जनता तथा देश के हित को नुमकसान पहुँचाते हैं। इससे बचने के लिए समाचार पत्रों से जुड़े कर्मचारियों यानि संवाददाता, पत्रकार आदि के लिए अचार–संहिता का होना आवश्यक है।

संवाददाता या पत्रकार में जनता को प्रभावित करने की अपार शक्ति होती है। वह जनता को जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ तथा प्रबुद्ध बनाने में सहायक हो सकते है तो वहीं गलत पत्रकारिता से पथभ्रष्ट भी कर सकते है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य जनता को सूचित करना तथा उनकी सेवा करना है, जिसके लिए उन्हें निष्पक्ष तथा लोकरहित होना आवश्यक है। पत्रकारों का कर्तव्य सत्य की सेवा करना है। जनसंचार की एजेंसियाँ सार्वजनिक चर्चा तथा सूचनाओं की वाहक हैं जो जनकल्याण की सेवा के लिए समाचार तथा प्रबुद्ध राय वितरित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। पत्रकारों को समाचार एकत्रित करने तथा उसे प्रस्तुत करने के दौरान सामने आने वाले लोगों की गरिमा, गोपनीयता, अधिकारों तथा भलाई के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।

आजकल पत्रकारिता पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत तथा सशक्त हुई है परन्तु उसके समक्ष पहले से अधिक चुनौतियाँ भी आ रही हैं। डॉ. रामचन्द्र तिवारी के अनुसार–''अंततोगत्वा पत्रों और पत्रकारिता की सार्थकता और सिद्धि किन्हीं प्रतिबंधों में नहीं, बल्कि पत्रकारों की सत्यनिष्ठा, निर्भीकता, उत्तरदायी स्वातन्त्र्य और लोकसेवा में है।''

1923 ई. में अमेरिका की समाचार–सम्पादक सोसायटी ने पत्रकारिता के आदर्श जैसे उत्तरदायित्व, पत्रों की स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यता, तटस्थता, निष्पक्षता तथा शिष्टता को निर्धारित किये थे। भारत सहित दुनिया के सभी देशों में यही आदर्श मान्य किए गए। भारत में पत्रकारिता में अश्लीलता और पीत पत्रकारिता को रोकने के लिए कुछेक कानून बनाए गए। 1954 में गठित प्रथम प्रैस आयोग ने आचार संहिता को आवश्यक बताया जिसका अनुमोदन द्वितीय प्रेस आयोग ने किया। आयोग ने आचार संहिता के सम्बंध में 17 सिद्धान्त बनाए जिसका पालन पत्रकारों को करना चाहिए–

1. पत्रकारों को जनहित में कार्य करना चाहिए।
2. पत्रकार मूलभूत मानवीय और सामाजिक अधिकारों को महत्व देते हुए निष्पक्षता अपनाएं।
3. समाचारों और तथ्यों का ईमानदारी से संकलन और प्रकाशन तथा समुचित टिप्पणी और आलोचना की स्वतन्त्रता की रक्षा।
4. समाचार–लेखन में संयम बरतना जिससे हिंसा और तनाव पर रोक लगे।
5. पत्रकार यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचनाएं सही और तथ्यों पर आधारित है।

CCCTA

6. प्रकाशित सूचनाओं और टिप्पणियों की जिम्मेदारी पत्रकारों पर होगी।

7. समाचार अपुष्ट है तो यह बताना ज़रुरी होगा कि वे अपुष्ट जानकारी पर आधारित है।

8. विश्वास का आदर और व्यावसायिक गोपनीयता। विवाद उठने पर सूचना स्त्रोत का नाम बताना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

9. पत्रकार अपने व्यावसायिक आचरण को व्यक्तिगत हित के लिए प्रभावित नहीं करेंगे।

10. गलत खबरों पर की गई टिप्पणियों पर खेद व्यक्त करना और भूल सुधार करना।

11. अपने व्यवसाय की प्रामाणिकता और गरिमा के अनुरुप कार्य करना।

12. समाचारों और टिप्पणियों के प्रकाशन हेतु घूस या प्रलोभन स्वीकार न करना।

13. सार्वजनिक महत्व के व्यक्तिगत विवादों को प्रकाशित करना पत्रकारित के प्रतिकूल है।

14. व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने वाली खबरें या अफवाहें फैलाना व्यवसाय–विरूद्ध है। सार्वजनिक हित न होने पर ऐसी पुष्ट खबरों का प्रकाशन अनुचित होगा।

15. झूठे और निराधार आरोप लगाना व्यावसायिक अपराध माना जाएगा।

16. साहित्य की चोरी भी व्यावसायिक अपराध है।

17. समाचार या फोटो लेते समय ध्यान रखना कि इससे निर्दोष और विपत्ति के मारे लोगों को ठेस न पहुँचे।

उपरोक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन में तीन और सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया जिनमें पत्रकार को अपने प्रभाव का दुरुपयोग न करने, अपने सहयोगियों के प्रति अपने दायित्व की सजगता और बुराई तथा अपराध को प्रोत्साहन देने वाले समाचारों को प्रकाशित न करना शामिल है।

'एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' ने पत्रकारों के लिए व्यवहार संहिता का प्रतिपादन किया। इस संहिता को 'ब्रिटेन सोसायटी ऑफ एडीटर्स' की संहिता के आधार पर बनाया गया, किन्तु इसे बनाने में भारतीय अनुभवों को भी ध्यान में रखा गया। इस संहिता को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 19 दिसम्बर, 2002 को अपने हस्ताक्षर से जारी किया। व्यवहार संहिता में जिन बातों पर जोर दिया गया है वे इस प्रकार हैं–

CGCTA

1. संवाददाताओं द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट के तथ्यों की जाँच की जाए और त्रुटियों को सशक्त संदर्भ पुस्तकालय की मदद से सुधारा जाए।
2. तथ्यों और बयानों में अन्तर किया जाए।
3. प्रकाशन के अधिकार को सर्वोच्चता देने के साथ जनहित का भी ख्याल रखा जाए।
4. निराधार खबरें प्रकाशित न की जाए।
5. पीड़ित पक्ष को अपना जवाब देने या खबर के खंडन का पूरा मौका देना चाहिए।
6. जहां माफी मांगना जरुरी हो, सहर्ष, स्पष्टतया और पूरी मर्यादा के साथ ऐसा किया जाना चाहिए।
7. मानहानी की कार्यवाही शुरू होने पर, पूरी निष्पक्षता और कानून को पूरा सम्मान देते हुए खबर छापी जानी चाहिए।
8. आम जनता के हितों को स्पष्टतः कोई खतरा न हो और किसी व्यक्ति के निजी मामलों को अनावश्यक प्रचार देने से बचना चाहिए। स्त्रोतों को परेशान करने या डराने धमकाने से बचना चाहिए।
9. समाचार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उसमें अतिश्योक्ति से बचना चाहिए।
10. सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कर्तव्यों की कोताही सम्बंधी आरोप लगाने से पहले इसे पुनः जांचना परखना चाहिए।
11. दबाव में आकर तथ्यों को छुपाना कर्तव्य से चूकना है।
12. ऐसे बयान या तथ्य जो नाम न बताए जाने की शर्त पर प्राप्त हुए हैं, उनमें गोपनीयता बनाए रखें।
13. पत्रकारों को ऐसे स्त्रोतों के बारे में एक दूसरे को सावधान करना चाहिए जो गुमनाम रहकर भ्रम फैलाते हैं।
14. मानवाधिकार महत्वपूर्ण है और इनके साथ–साथ निजी भावनाओं की गोपनीयता का भी उतना ही महत्व है।
15. पत्रकारों के सूचना के अधिकार शक्तिशाली साधन के रूप में हो सकते हैं जिनसे बचना चाहिए।

CGCTA

16. धार्मिक विवादों पर लिखते समय सभी सम्प्रदायों व समुदायों को समान आदर देना चाहिए तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए।

17. अपराध मामले विशेषकर सेक्स, बच्चों से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्टिंग में अपराधी, पीड़ित और गवाहों की पहचान बहुत सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

18. 'चेकबुक जर्नलिज़म' या पैसा देकर सूचना लेना पाप की कमाई की तरह है। वित्तीय पत्रकारिता को बाजार के साथ खिलवाड़ के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए।

19. चोरी–छिपे सुनकर या फोटो लेकर, किसी यंत्र का सहारा लेकर, किसी के निजी टेलीफोन पर बातचीत को पकड़कर, पहचान छिपाकर या चालबाजी से सूचनाएं प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

20. पत्रकारों को लोगों या संस्थानों से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लेना चाहिए, जिनकी रिपोर्ट लिखी जा रही हो।

निस्संदेह इस व्यवहार संहिता के अनुपालन से न तो जनहित पर आंच आएगी और न ही पत्रकारों पर।

सही एवं सच्ची पत्रकारिता के लिए संपादक, उप–संपादक, संवाददाता, रिपोर्टर, फोटोग्राफर आदि सभी के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। संपादक तथा उपसंपादक का दायित्व होता है कि वे किसी भी रिपोर्ट को त्रुटिहीन तथा उच्च स्तर का बनाकर जनता के समक्ष रखें। इनके अतिरिक्त कंटेंट–राइटर तथा डेस्क के शिफ्ट इंचार्ज संपादकीय सामग्री को प्रकाशन से पहले भली–भाँति जाँच लें और उसके पश्चात ही प्रकाशन के लिए भेजें। पत्रकारिता जितनी अधिक संभव हो सके उतनी सटीक, निष्पक्ष तथा पूर्ण होनी चाहिए। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी संस्थान या व्यक्ति विशेष की छवि को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचाएं। रिपोर्ट करते समय कहानी या समाचार के सभी पक्षों पर विचार करें तथा आलोचनाओं से बचें। तथ्यों पर ध्यान दें और यदि कभी किसी कारणवश त्रुटि हो जाए तो समय–सीमा के अंदर तुरंत उसे सुधारें। समाचार, कहानी या फीचर में प्रयोग की गई फोटो या चित्र का कैप्शन या उससे सम्बन्धित जानकारी लिखते समय हमेशा सावधानी बरतें। खबर को लिखते समय ध्यान रखें कि उसका शीर्षक, कैप्शन और कंटेंट सही हो जो पाठकों को भ्रमित न करे। प्रत्येक पत्रकार का दायित्व होता है कि वह न्यूज़ कवर करते समय ऐसा कुछ न करें जिससे किसी समाज के प्रति बैर–भाव पैदा हो या किसी को जानबूझकर हानि पहुँचे।

## संगीत सम्बन्धी पत्रकारिता

CGCTA

संगीत के विभिन्न पहलुओं जैसे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, बैण्ड, वाद्य संगीत, नृत्य आदि की पत्रकारिता भिन्न–भिन्न प्रकार से की जाती है। इन कार्यक्रमों के श्रोता भी विभिन्न वर्ग तथा आयु के होते हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रेमी अधिकतर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता, शिक्षक या विद्यार्थी होते है। सुगम संगीत सुनने के लिए हर प्रकार के श्रोता आते हैं। लोक संगीत के कार्यक्रमों में श्रोताओं की संख्या अधिक रहती है क्योंकि यह हर वर्ग, जाति, आयु के लोग सुनना तथा देखना पसंद करते हैं। वाद्य संगीत, बैण्ड आदि के श्रोता भी उसके ज्ञाता, संगीतकार, विद्यार्थी या आम जनता भी होती है। नृत्य कार्यक्रमों को देखने तथा उसका आनन्द लेने बहुत लोग आते हैं।

इन कार्यक्रमों को देखने तथा सुनने कुछ प्रतिशत जनता ही आती है परन्तु इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टी.वी. इत्यादि का सहारा लेते हैं। सांगीतिक कार्यक्रमों की पत्रकारिता करते समय पत्रकारों को कार्यक्रम, कलाकार, श्रोता आदि की जानकारी पाठकों तक पहुँचाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। कार्यक्रमों की रिपोर्ट का उद्देश्य है कि रिपोर्टर को संगीत, कलाकरों तथा दर्शकों के अनुभव, प्रदर्शन के पूरे संदर्भ के बारे में विश्लेषणात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और फिर अपने अनुभव का सूचनात्मक तथा दिलचस्प विवरण ऐसे व्यक्ति को देना जो वहाँ मौजूद नहीं था।

पत्रकारिता के लिए प्रदर्शन के दौरान रिपोर्टर को नोट्स लिखने की आवश्यकता होती है, न कि अगले दिन अपने दिमाग से याद करके बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कलाकारों तथा दर्शकों से साक्षात्कार कर कार्यक्रम की सही जानकारी से जल्द रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

संगीत कार्यक्रम की रिपोर्ट अन्य कार्यक्रमों से अलग होती है। कार्यक्रम में कितने कलाकार थे, मंच कैसा था, कौन–कौन से वाद्यों का प्रयोग किया गया, कौन सा राग–ताल गाया–बजाया गया, दर्शकों की कितनी संख्या थी, पेशकारी के दौरान दर्शकों ने तालियाँ बजाई या नहीं, उनकी कलाकार की कला पर प्रतिक्रिया तथा समीक्षा जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट छापनी चाहिए। इन सब बातों से यह पता चलता है कि कार्यक्रम कितना सफल या असफल था। इसके अतिरिक्त कलाकार पर लेख भी लिखा जाता है जिससे उसके जीवन तथा कला के सफर की जानकारी उनके चाहने वालों तक पहुँचती है।

आजकल शास्त्रीय, उपशास्त्रीय कलाकारों की जितनी कवरेज होती है, उससे लोक संगीत के कलाकारों, फिल्मी जगत के गायक–वादक संगीत निर्देशक आदि के फीचर, लेख, समाचार पत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं क्योंकि इनको सुनने वालों की संख्या अधिक हो गई है।

संगीत सम्बंधी पत्रकारिता करते समय पत्रकारों को कुछ सावधानियाँ रखने की आवश्यकता होती हैं।

CGCTA

1. कलाकार की पूर्ण तथा सही जानकारी होना।
2. संगीतकार या कलाकार की कला के बारे में सही लिखना। उनके गुरु, शैली, घराना इत्यादि का ज्ञान होना।
3. कलाकार से साक्षात्कार करते समय अभद्र व्यवहार न करना तथा भाषा का ध्यान रखना। यदि कुछ गोपनीय जानकारी हो तो उसे उनकी सहमति के बिना प्रकाशित न करना।
4. संगीत प्रस्तुति की निष्पक्ष समीक्षा करना।
5. श्रोता या दर्शकों की संख्या का सही अनुमान लगाकर पाठकों को ठीक जानकारी देना। किसी के दबाव में आकर संख्या को बढ़ा–चढ़ा कर न लिखना।
6. कलाकार ने कौन सा राग गाया–बजाया, किस ताल में प्रस्तुति थी इसकी ठीक जानकारी कलाकार या प्रबन्धकों से पूछ कर प्रकाशित करना।
7. संगीत कार्यक्रम को स्वयं जाकर सुनना, नोट्स बनाना, फोटोग्राफर से चलते कार्यक्रम में फोटो खिंचवा कर समाचार अच्छे शीर्षक के साथ प्रकाशित करवाना।
8. रिपोर्टर यदि संगीतिक पृष्ठभूमि से हो तो उसे संगीत कार्यक्रम की रिपोर्ट लिखने में सहायता हो सकती है।
9. संगीत कार्यक्रम के स्थान, समय, तिथि की सही जानकारी देनी चाहिए।
10. पत्रकार को किसी विवाद में नहीं फँसना चाहिए।
11. कार्यक्रम पर अपनी राय देते समय ध्यान रखना चाहिए कि कलाकार या प्रबन्धक की मानहानि न हो।
12. सार्थक और सम्मानजनक टिप्पणी करें न कि विषय से हटकर आपत्तिजनक टिप्पणी करें।
13. कोई भी प्रतिक्रिया गुमराह करने वाली न हो जिसका असर कलाकार या समाज पर पड़े।
14. पत्रकारों को विशेषकर कलाकारों तथा संगीत सम्बंधित नैतिकता और संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए।
15. संगीत विषयों पर लेख तथा समाचार रिपोर्ट की सटीकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

CGCTA

16. संगीत समाचार, समीक्षा और लेख में निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना अनिवार्य है ताकि पाठकों तथा सगीत प्रेमियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से सम्पन्न जानकारी प्राप्त हो सके।
17. गलत जानकारी से बचने के लिए प्राप्त जानकारी को सम्बंधित तथ्यों की सत्यता की पुष्टि अवश्य करनी चाहिए।
18. पत्रकारों को संगीत समुदाय के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है इसलिए उन्हें कलाकारों, संगीतकारों तथा संगीत विद्वानों के साथ सम्बंध स्थापित कर उनके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए।
19. अपनी रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार के विवाद को नहीं आने देना चाहिए।
20. पत्रकारों को निजी एवं व्यक्तिगत सीमाओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग करने में सर्तक रहना चाहिए।
21. असत्य समाचार जल्द ही फैलकर कलाकार के व्यक्तित्व को ठेस पहुँचा सकते हैं।
22. लेख या फीचर में उपयोग किए गए कॉपीराइट सामग्री के लिए अनुमति लेना आवश्यक है।
23. संतुलित तथा निष्पक्ष पत्रकारिता पाठकों, दर्शकों को उचित निर्णय लेने में सहायक होती है तथा पत्रकारों के प्रति विश्वस्नीयता को बनाए रखने में मदद करती है।
24. सत्यता तथा विश्वस्नीय स्त्रोतों से जानकारी की पृष्टि करने के माध्यम से, संगीत पत्रकार अपने काम के प्रति विश्वस्नीयता को सुनिश्चित कर पाते हैं।
25 केवल प्रेस विज्ञप्ति, पर निर्भर नहीं करना चाहिए। स्वयं कार्यक्रम/सम्मेलन में उपस्थित होकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

संगीत पत्रकारिता एक रोमांचकारी तथा सत्यनिष्ठ क्षेत्रीय रिपोर्टिंग का क्षेत्र है जो भारतीय सांगीतिक समाज को विविधता और सौन्दर्य से भर देता है। इस पत्रकारिता में कार्य करने वाले पत्रकारों को ऊपर वर्णित सावधानियों का पालन करना अत्यावश्यक है। यह सभी सावधानियाँ संगीत सम्बंधी पत्रकारिता के प्रति विश्वास तथा नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक होगी और सार्वजनिक उत्थान के माध्यम से संगीत समुदाय को उत्तम तथा समर्थनीय समाचार पदान करेगी।

CGCTA

## संदर्भ सूची

1. पठालिया जनक आर–वैश्वीकरण और पत्रकारिता, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
2. मल्होत्रा महेन्द्र–आधुनिक मीडिया एवं समाचार, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
3. सिंह पी. पी.–प्रिंट मीडिया कम्यूनिकेशन, अनमोल पब्लिकेशन. प्रा. लि. नई दिल्ली, 2002
4. गुप्ता ओम–बेसिक आस्पेक्टस ऑफ मीडिया राइटिंग, कनिष्का पब्लिशर्ज़, नई दिल्ली, 2002
5. कुमार केवल जे,. मास कम्यूनिकेशन इन इंडिया, जयको पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई, 1994
6. गर्ग लक्ष्मी नारायण, निबन्ध संगीत, संगीत कार्यालय हाथरस, 1978
7. गुप्ता ओम, बेसिक आस्पेक्टस ऑफ मीडिया राइटिंग, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2002
8. गुप्ता यू.सी., इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2012
9. दास अजय, प्रिंट एण्ड ब्रोडकास्ट जर्नलिर्ज़म, ए क्रिटिकल इग्ज़ामिनेश्न ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009

CGCTA